



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072022-237371  
CG-DL-E-19072022-237371

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513]  
No. 513]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2022/आषाढ़ 28, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2022/ASHADHA 28, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2022

सं. 17/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 583(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 492 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "शून्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
  - (ii) क्रमांक 2 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "₹. 10 प्रति लीटर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना 20 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

नितिश कर्णाटक, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2022

## No. 17/2022-Central Excise

**G.S.R. 583(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2022-Central Excise, dated the 30<sup>th</sup> June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 492 (E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 2, for the entry in column (4), the entry “Rs. 10 per litre” shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 20<sup>th</sup> day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2022

## सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

**सा.का.नि. 584(अ).**— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद के क भीतर आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 147 के अधीन उस पर उद्घाहीत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करती है जितना वह उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से परिकलित रक्कम से अधिक है:

## सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2709	कच्चा पेट्रोलियम	17,000 रुपए प्रति टन
2.	2710	एविएशन ट्रबाइंन फ्यूल	4 रुपए प्रति लीटर

2. यह अधिसूचना 20 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव